



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर, 2021

आश्विन 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2069/9-1-2021-19 सा-13

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-354

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्यागपत्र का दिनांक
1	मेरठ	नगर निगम मेरठ	82	श्री सईद अख्तर (पार्षद)	17-07-2020 (मृत्यु)
2	मेरठ	न0पं0, लावड़	09	श्री मुजाहिद (सदस्य)	09-03-2021 (मृत्यु)
3	लखीमपुर खीरी	न0पा0प0 पलियाकलां	06	श्री मनोज (सदस्य)	19-04-2021 (मृत्यु)

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्यागपत्र का दिनांक
4	प्रतापगढ़	न०पा०प० बेल्हा	01	श्री अभय कुमार (सदस्य)	07-11-2020 (त्यागपत्र)
5	शामली	न०पा०प० कांधला	08	श्री मनोज (सदस्य)	24-11-2018 (मृत्यु)
6	शामली	न०पा०प० कांधला	23	श्रीमती रानी (सदस्य)	01-05-2021 (मृत्यु)

आज्ञा से,
डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।